# समाहरणालय, जमुई।
## (जिला योजना कर्यालय)

## अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना

मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अन्तर्गत श्री संजय प्रसाद माननीय स0वि0प0 द्वारा वर्ष 2018–19 के लिये पुस्तक क्रय हेतु की गयी अनुशंसा के आलोक में नमूने की एक–एक प्रति के साथ प्रतिष्ठित प्रकाशकों/वितरकों/विक्रेताओं के मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है। वित्तीय/तकनीकी अलग–अलग मुहरबंद लिफाफे में दिनांक–25.2.2019 को 2.00 बजे अपराहन तक निविदा जिला योजना कार्यालय, जमुई में रजिस्टर्ड डाक/कोरियर या स्वयं अथवा प्रतिनिधि के माध्यम से निविदा दाखिल कर सकते है। उसी दिन पुस्तक जिला क्रय समिति के समक्ष निविदा उप विकास आयुक्त , जमुई के कक्ष में अपराहिन् 3:00 बजे खोली जायेगी। जिसमें निविदादाताओं या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि भाग ले सकते है।

जिला शिक्षा पदाधिकारी, जमुई के अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक से अनुमोदित पुस्तकों की सूची कार्यालय अवधि में अपने निजी खर्च पर छाया प्रति प्राप्त कर सकते है, अथवा जमुई जिला के वेबसाइट http://jamui.nic.in पर देख सकते है।

**(क) तकनीकी निविदाः–**

1. संस्थान की विस्तृत विवरणी
2. निविदादाता को तीन वर्ष का आयकर रिर्टन एवं पैन कार्ड का छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. निविदादाता को फौजदारी दिवानी मामला में कोई मामला दर्ज नही हो एवं काली सूचि में दर्ज नहीं होने से संबंधित नोटरी पब्लिक/कार्यपालक दंडाधिकारी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा।
4. निविदाता को अग्रधन की राशि के रूप में मो0 25000/– (पच्चीस हजार) रूपये का डिमांड ड्राफ्ट जो रिफन्डेवल होगा जिला योजना पदाधिकारी, जमुई के पदनाम से संलग्न करना अनिवार्य होगा।
5. निविदादाता को कार्य अनुभव संबंधी प्रमाण–पत्र देना होगा।

**(ख) वित्तीय निविदाः–**

1. तकनीकी निविदा में सफल होने के उपरांत ही संबंधित निविदादाता का वित्तीय निविदा क्रय समिति के समक्ष खोला जायेगा।

**अन्य शर्तेः–**

1. क्रय की जानेवाली पुस्तकों के टाईलिट पृष्ठ एवं मूल्य में किसी प्रकार का परिवर्त्तन मान्य नहीं होगा।
2. बाल साहित्य के अतिरिक्त अन्य पुस्तकें 60 पृष्ठ से कम रहने पर मान्य नहीं होगा।
3. क्षतिग्रस्त अथवा न्यूजप्रिंट पर छपी पुस्तकें स्वीकार नहीं की जाएगी।
4. बिहार के क्षेत्रीय भाषाओं एवं बिहार के प्रमुख रचनाकारों की पुस्तकों को प्राथमिकता दी जायेगी। प्रत्येक पुस्तक अधिमानतः आई0एस0बी0एन0 संख्या के साथ चयनित की जायेगी।
5. **National Book Trust, NCERT** प्रकाशन विभाग या अन्य सरकारी/अर्द्धसरकारी प्रतिष्ठानों की पुस्तकों को प्राथमिकता दी जायेगी।
6. पुस्तकों के क्रय हेतु छूट की निम्नांकित न्यूनतम दरें निर्धारित की जायेगी।

| | | |
|---|---|---|
| क | 1 से 10 प्रतियॉ पर | 10 प्रतिशत |
| ख | 11 से 25 प्रतियॉ पर | 15 प्रतिशत |
| ग | 26 से 100 प्रतियॉ पर | 20 प्रतिशत |

| | | |
|---|---|---|
| घ | 101 से 200 प्रतियाँ पर | 25 प्रतिशत |
| ड. | 201 से 500 प्रतियाँ पर | 30 प्रतिशत |
| च | 501 से उपर प्रतियाँ पर | 35 प्रतिशत |

7. प्रकाशन उपर्युक्त निर्धारित छूट देना चाहे तो स्पष्ट रूप से अंकित करना होगा कि कितनी छूट दे सकते है।
8. प्रत्येक पुस्तक का नमूना की प्रति निविदादाता को निविदा तिथि के एक दिन पूर्व जिला योजना कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा। रेल पार्शल अथवा डाक से भेजे गये पुस्तक का नमूना स्वीकार्य नहीं होगा।
9. नमूने के रूप में उपलब्ध कराये जाने वाले पुस्तकों में निम्नांकित सूचनाएँ निश्चित रूप में अंकित की जाय।

(i) पुस्तक का नाम

(ii) लेखक का नाम एवं प्रकाशक का पुरा पता

(iii) विषय–

(iv) प्रकाशन वर्ष–

(v) पृष्ठ संख्या–

(vi) साजिल्द/अजिल्द एवं मूल्य मुद्रित–

10. पुस्तकों की आपुर्ति माननीय स0वि0स0, द्वारा अनुशंसित विद्यालयों में करनी होगी।
11. पुस्तकों की आपुर्ति पूर्ण राशि का करना होगा अन्यथा जमानत की राशि जब्त कर ली जायेगी। अधुरी आपुर्ति स्वीकार नहीं किया जायेगा।
12. किसी प्रकार का अग्रिम देय नहीं होगा।
13. अनुशंसित विद्यालयों में पुस्तक पहुँचाने हेतु किसी प्रकार का परिवहन किराया देय नहीं होगा।
14. आपुर्तिकर्त्ता को संबंधित प्रकाशक के द्वारा प्रकाशित पुस्तकों की आपुर्ति का प्राधिकार पत्र जमा करना पड़ेगा।
15. निविदा के लिफाफे पर वित्तीय/तकनीकी निविदा अलग–अलग मोटे अक्षरों में लिखा मुहरबंद होना चाहिए।
16. किसी भी समय बिना कारण बताए निविदा को रद्द करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।
17. किसी भी तरह का विवाद होने पर न्यायिक क्षेत्र जमुई होगा।

जिला योजना पदाधिकारी,
जमुई।